Notes by Akhilesh Kumar (GT Assistant professor)
J K College Biraul Darbhanga
YouTube : A Commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit -3 Negotiable Instrument Act ,1881

चेक(cheque) -एक परिचय(Cheque-An Introduction)

Easy to Understand the concept

चेक(cheque) या धनादेश (Cheque) :

चेक(cheque) एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है और उसमें लिखने वाला बैंक को यह आदेश देता है की वह माँगने पर के निश्चित रकम, एक निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा वाहक को दे |

भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार,

"चेक(cheque) एक ऐसा विनिमय-पत्र है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है तथा जो माँग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के देय नही है|"

("A cheque is a bill of exchange drawn upon a specified banker and payable on demand,")

उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि चेक विनिमय-पत्र के ही समान होता है, लेकिन इसमें निम्नलिखित दो अतिरिक्त विशेषतायें होती है -

(अ) चेक(cheque) सदैव किसी विशेष बैंक पर ही लिखा जाता है, तथा

(ब) यह माँगने पर देय होता है |

इसलिये यह कहा जा सकता है की सभी बैंक तो विनिमय पत्र होते है, किन्तु सभी विनिमय बैंक नहीं हो सकते |

डॉ० हार्ट के अनुसार, *"एक चेक(cheque)लेखक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक के नाम शर्तरहित एक ऐसा लिखित आदेश होता है जिसमे लेखक निर्दिष्ट व्यक्ति को, अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को, माँग करने पर, इसमें एक वर्णित एक निश्चित राशि के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के करने का आदेश नही होता |"*

निष्कर्ष - *उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चेक(cheque) एक शर्तरहित लिखित विपत्र है जिसमे लेखक किसी विशिष्ट की अपने हस्ताक्षर द्वारा एक निश्चित रकम किसी विशेष व्यक्ति को अथवा अपने आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या धारक को माँगने पर देने की आज्ञा देता है |*

चेक(cheque) की विशेषतायें या लक्षण (Characteristics of a Cheque)

- चेक(cheque) के अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करने से निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है -

1. एक लिखित प्रपत्र (An instrument in writing) – ग्राहकों को अपने बैंक से चेक(cheque) बुक मिलती है जिसमें चेक(cheque) के छपे हुये फार्म होते है, इन फर्मो पर चेक(cheque) या तो हाथ से लिखा जा सकता है या टाइप किया जा सकता है | परन्तु यह सदैव लिखित में होता है |

2. शर्तरहित आदेश (Unconditional order) – चेक(cheque) हमेशा एक शर्तरहित आदेश होता है | इसका अर्थ यह है की यदि चेक(cheque) का लेखक किसी शर्त को पूरा होने के पश्चात् अपने द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने को कहता है, तो उसे चेक(cheque) नही कहा जा सकता |

3. निश्चित बैंक (Specified bank) – कोई व्यक्ति अपनी धनराशि जिस बैंक शाखा में जमा करता है, केवल उसी बैंक शाखा पर ही चेक(cheque) लिखा जाता है अर्थात् चेक(cheque) सदैव किसी बैंक विशेष पर ही लिखा जाता है |

4. निश्चित राशि (Certain amount) – चेक(cheque) सदैव निश्चित धन राशि के लिये ही लिखा जाता है | धनराशि का कोई सम्पूर्ण इकाई होना आवश्यक नही है, परन्तु अंको तथा शब्दों में लिखी गई धनराशि में अन्तर नही होना चाहिये |

5. निश्चित आदाता (Certain Payee) – यदि चेक(cheque) वाहक (Bearer) नहीं लिखा जाता है | धनराशि में अंतर नही होना चाहिये अर्थात् भुगतान पाने वाले के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये | व्यक्ति में संस्था, कम्पनी तथा फर्म आदि को भी शामिल माना जाता है|

6.तिथि (Date) – चेक(cheque) पर तिथि आवश्यक रूप से होनी चाहिये क्योंकि बिना तिथि के चेक(cheque) का भुगतान करने के लिये बैंक का दायित्व नही होता |

7.माँग पर देय (Payable on Demand) – चेक(cheque) में उल्लिखित राशि को केवल माँग करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है | भुगतान प्राप्त करने के लिये चेक(cheque) को बैंक के सम्मुख उपस्थित करना अनिवार्य है |

8. लेखक के हस्ताक्षर (Signature of the drawer) – चेक(cheque) पर लेखक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है / बिना हस्ताक्षर चेक(cheque) पर दिये गये आदेश को बैंक मानने से मना कर देता है /

यदि खातेदार में किसी अन्य व्यक्ति को चेक(cheque) लखने का अधिकार दिया हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति भी चेक(cheque) पर हस्ताक्षर करके चेक(cheque) को जरी रख सकता है /

चेक(cheque) के पक्षकार (Parties relating to a cheque) – चेक(cheque) से सम्बन्धी निम्नलिखित पक्षकार होते है -

1. लेखक या आहर्ता (Drawer) – जो व्यक्ति चेक(cheque) लिखता है, आहर्ता या लेखक कहलाता है / चेक(cheque) वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका बैंक खाता होता है /

2. आहर्ती (Drawee) – जिस बैंक को चेक(cheque) का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है अर्थात् जिस बैंक पर चेक(cheque) लिखा जाता अहि, उसे आहर्ती कहते है /

3. प्रापक, आदाता या भुगतान प्राप्त करने वाला (Payee) – जिस व्यक्ति को चेक(cheque) में लिखित धनराशि का भुगतान किया जाता है, उसे प्रापक या आदाता कहते है |

4. पृष्ठांकक (Endorser) – किसी अन्य व्यक्ति को चेक(cheque) को पृष्ठांकित करने वाले धारक को पृष्ठांकक कहते है |

5. पृष्ठांकिती (Endorsee) – जिस व्यक्ति को चेक(cheque) पृष्ठांकित किया जाता है, उसे पृष्ठांकिती कहते है |

विनिमय-विपत्र और चेक(cheque) में अन्तर(Difference Between Bills of exchange and cheque)

विनिमय-पत्र	चेक(cheque)
1. विनिमय-पत्र किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर लिखा जा सकता है	जबकि चेक(cheque) सदैव किसी विशेष बैंक पर ही लिखा जाता है
2. विनिमय विपत्र सावधि तथा माँग पर देय दोनों ही प्रकार के हो सकते है	जबकि चेक(cheque) सदैव ही माँग पर देय होता है
3. इसकी स्वीकृति आवश्यक है	जबकि चेक(cheque)स्वीकृति की आवश्यकता नही है
4. यह देश और विदेश दोनों में लिखा जाता है	जबकि चेक(cheque) अपने ही देश में लिखा जाता है

5. इसका रेखांकन नही होता / जबकि चेक(cheque) रेखांकन हो सकता है /

6.इस पर मूल्यानुसार स्टाम्प लगाना आवश्यक है / जबकि चेक(cheque) पर स्टाम्प की आवश्यकता नही पड़ती /

7. मियादी विनिमय-विपत्र की दशा में अनुग्रह (Grace) के तीन दिन दिए जाते है / जबकि चेक(cheque) में अनुग्रह के दिन नही दिए जाते /

8. इसके अनादरित होने पर आलोकन तथा प्रमाणन की आवश्यकता पडती है / जबकि चेक(cheque) अनादरित होने पर आलोकन तथा प्रमाणन की आवश्यकता नही पडती /

9. इसके अनादरित होने पर पूर्व पक्षकारो को बाध्य करने के लिये धारी द्वारा अनादरण की सुचना देना आवश्यक है / जबकि चेक(cheque) अनादरित होने पर अनादरण की सुचना देना आवश्यक नहीं होता /

10. विनिमय विपत्र यदि उचित समय में देनदार के समक्ष भुगतान के लिये प्रस्तुत नही किया जाता तो विपत्र का लेखक तथा अन्य पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते है / जबकि चेक(cheque) को भुगतान के लिये बैंक के पास प्रस्तुत न किये जाने पर लेखक अपने दायित्व से मुक्त नह होता, बशर्ते बैंक शोधक्षम्य हो /

11. लेखक देनदार को विपत्र का भुगतान रोकने की आज्ञा नही दे सकता / जबकि चेक(cheque) के भुगतान से पूर्व चेक(cheque)के लेखक को भुगतान रोक देने का अधिकार होता है /

12. विनिमय-विपत्र के लेखक की मृत्यु हो जाये या दिवालिया हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी विपत्र के धारक के प्रति उत्तरदायी होते है | जबकि चेक(cheque) के लेखक की मृत्यु होने या दिवालिया होने की सुचना मिलते ही बैंक ऐसे लेखक के सभी चेक(cheque) का भुगतान स्थगित कर देता है |

13. इसे कोई भी लिख सकता है | जबकि चेक(cheque) केवल वही लिख सकता है जिसका केवल बैंक में खाता है |